विधान परिषद के द्वितीय सत्र-2024 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित डॉ0 मान सिंह यादव, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-19 का उत्तर।

प्रश्न	**उत्तर**
(क) क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि जनपद-कानपुर नगर के तहसील सदर में वृद्धावस्था पेंशन के 313722318661 के साथ ही दिनांक 01 जनवरी, 2024 से 31 मार्च, 2024 तक कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए है?	जनपद-कानपुर नगर के तहसील सदर में वृद्धावस्था पेंशन के 313722318661 के साथ ही दिनांक 01 जनवरी, 2024 से 31 मार्च, 2024 तक कुल 420 आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किये गये।
(ख) उक्त पेंशन के आवेदनों में तहसील की रिपोर्ट लगने का कोई समय-सीमा निर्धारित है?	जी हाँ, 45 दिनों की समय-सीमा निर्धारित है।
(ग) उक्त आवेदनों में से कितने आवेदन ऐसे है जिनमें अभी तक तहसील से रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुयी है?	वृद्धावस्था पेंशन एक सतत् प्रक्रिया है, जैसे-जैसे आवेदकों द्वारा आवेदन किया जाता है, तहसील/विकास खण्ड स्तर से पात्रता के आधार पर प्राप्त आवेदन-पत्रों को जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन प्राप्त कर पी0एफ0एम0एस0 पर रिस्पांस उपरान्त भुगतान हेतु रिवेरीफाई किया जाता है, जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा रिवेरीफाई किये जाने के उपरान्त आधार बेस्ड प्रणाली के माध्यम से धनराशि पेंशनरों के बैंक खातों में प्रेषित की जाती है। जनपद-कानपुर नगर के तहसील-सदर के 420 आवेदन-पत्रों में से उपजिलाधिकारी, सदर कानपुर नगर द्वारा 129 आवेदन-पत्र अग्रसारित किये गये हैं तथा लम्बित आवेदन-पत्रों पर कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी कानपुर नगर द्वारा उपजिलाधिकारी तहसील सदर कानपुर नगर को निर्देशित किया गया है।
(घ) कितने आवेदनों की पेंशन आवेदनकर्ताओं के खाते में भेज दी गयी है?	उपजिलाधिकारी सदर कानपुर नगर स्तर से अग्रसारित कुल 129 आवेदन-पत्रों में से 103 आवेदन-पत्रों को जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन प्राप्त कर भुगतान हेतु अग्रसारित किया गया है, शेष आवेदन-पत्रों के अनुमोदन की कार्यवाही जिला समाज कल्याण अधिकारी कानपुर नगर के स्तर से की जा रही है।
(ड़) उक्त आवेदनों की सम्पूर्ण सूची नाम व पते सहित सदन की मेज पर रखेंगे?	उपर्युक्तानुसार
(च) यदि नहीं, तो क्यों?	प्रश्न नहीं उठता।

असीम अरूण
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)